

संघर्षावस्था.

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद.

उत्तर प्रदेश सरकार.

संख्या: - प्राविध/परिषद/सम्पद/2021/3537.

संख्यांक: दिनांक: 09/08/2021

प्रस्तावित कार्य:-

अद्वितीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यपालिका अफि इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा पेशित सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रणाली को अनुसंधान प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3030 संसदनक से सम्पद/सम्पद/संसाधन विकास प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यपालिका में सम्पद/संसाधन विकास विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदनित नई संसाधनों को सम्पद/संसाधन विकास विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सम्पद/संसाधन विकास विभाग प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्पद/संसाधन विकास विभाग के अध्यक्ष से किये गये निर्णय के अनुसार नई दिल्ली प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3030 संसदनक द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित धरों के अधीन संसाधन एवं उपरोक्त अद्वितीय प्रवेश प्रणाली हेतु सम्पद/संसाधन विकास प्रदान की जाती है:-

संस्था का पते एवं नाम : 3021-LET, POORAN RAM PRAKASH DIXIT COLLEGE OF PHARMACY, HAMIRPUR-210505

क्र.सं.	पठनक्रम का नाम	एओआर/सी/टी/डी/वी/सी/आई/परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुसंधित प्रवेश प्रणाली	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुसंधित प्रवेश प्रणाली
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्पद/संसाधन हेतु धरें

- ✓ सत्र 2021-22 हेतु एओआर/सी/टी/डी/वी/सी/आई/परिषद द्वारा निर्धारित की गयी सभी धरों का पूर्णतः ध्यान रहेगी।
- ✓ सत्र 2021-22 प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद नियमसूची 1992, सेक्टर नियमसूची-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं अधिनियमों को अनुपालन करनी तथा शुल्क: निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क और सभी अन्य शुल्क/पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2021-22 के लिए 45000.00/- प्रतिवर्ष, सेक्टर/राज्यीय पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2021-22 के लिए 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रदान करा/सत्र से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त धरें: अधिनियम/सत्र/संसाधनों से शुल्क के सम्बन्ध में सत्र-सत्र पर सामान्य रूप से निर्धारित किये जाने वाले संसाधनों/प्रणाली होगी, और सत्र-सत्र प्राविधिक शिक्षा प्रणाली अद्ययावत होगा। धरों निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु धरों का पूर्णतः ध्यान दिया जाता है, जो धरों की परीक्षाओं से सत्र-सत्र के लिए होगी।
- ✓ सत्र 2021-22 (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद/संसाधन विकास विभाग के अध्यक्ष) को सम्पद/संसाधन विकास विभाग (नियमसूची-2000) की धरों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ सत्र 2021-22 के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित धरों को ही प्रवेश दिया जाएगा। धरों के लिए नए धरों की स्थिति में सत्र 2021-22 के लिए नए धरों की प्राविधिक शिक्षा परिषद/संसाधन विकास विभाग की कार्यपालिका की कार्यपालिका।

- ✓ जिस को समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार निरीक्षण एवं समीक्षण सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अलग-थलग कर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाये विधि/विनयो/अधिनियमों/कारणदेशों/निर्देशों एवं निर्देशना, प्राथमिक शिक्षा, उ०पी०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०पी० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०पी० द्वारा चलाई जाये विनयों, अधिनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये साक्ष्य होगी।
- ✓ विद्यार्थियों द्वारा चलाई जाये परीक्षाओं की सुविधाएं यदि पी०सी०आई०, आई०टी०आई० से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में संस्था परामर्शदायक संस्था द्वारा होकर और विविध स्तर से विभी भी चलाई जाये के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई भी बात साफ किया जाता है तथा उत्तर काट के संबंध में मा. साक्षात्कार द्वारा किसी प्रकार की ठीक-ठीकी संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है जो संस्था प्रतिक्रिया सुनिश्चित संस्था को करती होगी।
- ✓ विद्यार्थियों द्वारा चलाई जाये परीक्षाओं को सुनिश्चित प्रवेश परीक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोगित प्रवेश परीक्षा हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रवेश होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को प्रस्तावित करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु शिक्षा वरीयता अथवा निम्नलिखित का अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सुनिश्चित जाये संस्था की प्रौद्योगिकिक युक्ति भूमि, स्टाफ, साधन-सामान, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला भुगतान, कारखाना सुनिश्चित और का निरीक्षण प्रस्तावित करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण प्रविधान हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के साथ शिक्षण स्थानों के सम्बन्ध में संस्था आवश्यक साधन सुनिश्चित करती होगी।
- ✓ संस्था का सुविधित हो ले कि संस्था में प्रशासिका/संयोजित परामर्शकों को आने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त सदस्यों को आने-जाने, भूमि-भरण, पकी-पद, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परामर्शकों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था परीक्षा का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बन्धित प्रस्ताव किने जाने की अनुमति नहीं करेगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निरीक्षण टीम यदि संस्था में भूमि, पद, प्रयोगस्थल, उपकरण एवं अन्य साधन-सामान ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के माध्यम-माध्यम प्रस्तावित नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बन्धित प्रस्ताव कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित स्वी का अनुमोदन व निर्देश जाने अथवा नहीं का अन्तर्गत किने जाने की विधि में निम्नानुसार अनुमोदन-सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोमकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद संख्या/2021/3530-4009

प्रतिष्ठित

आचार्य/निर्देशक, LET, POORAN RAM PRAKASH DIXIT COLLEGE OF PHARMACY, HAMIRPUR-210506

PAC/PH.O.D.
 Dr. Pankaj Kumar
 Head College of Pharmacy
 Hamirpur - 210506


 (सुनील कुमार सोमकर)

कार्यालय,

राजिव गांधी विश्व विद्यालय,

उत्तर प्रदेश, राखनऊज

संख्या - प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2022/10235

संलग्नक - दिनांक 04/11/2022

कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संश्लेषित संख्या 2022-23 हेतु डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० राखनऊज से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 04/11/2022 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संयुक्त हुई। बैठक में समिति द्वारा संख्या 2022-23 हेतु अधोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गतों पर विचार करते हुए संख्या 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० राखनऊज द्वारा संख्या 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उपायों अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम - 3021-LET.POORAN RAM PRAKASH DIXIT COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा संख्या 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संख्या 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकर 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली 2000, रेगुलेशन विनियमावली 2016 तथा सामान्य शर्तों पर निर्भर पाठ्यक्रमों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों की पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों की पाठ्यक्रमों हेतु ₹०. 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की पाठ्यक्रमों (दो वर्षों की पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक पाठ्यक्रम से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्कों के सम्बन्ध में सम्बन्ध-सम्बन्ध पर राखन द्वारा निर्णय किये जाने वाले सम्बन्ध-सम्बन्ध प्रणाली होगी और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा वृद्धि संख्या 2022-23 हेतु परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो परीक्षा की नवीकरण देरे लागू होगी।
- ✓ संस्था में सुलभ प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अधोदित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को सम्बन्ध-सम्बन्ध पर निर्भर पाठ्यक्रमों के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश राखन द्वारा निर्भर विधिविधियों/अधिविनियमों/कार्यवाही/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा बन्ने गये विद्यमान विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यवाही है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०बी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम चलाया जाता है तब उसके बाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी ज़िम्मेदारि निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को कर्नायी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनिका काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०बी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर संबंधी प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत सर्वोत्तम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साल-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुक्त, उपाययस मुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविधिक हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ रैकिंग रोकने के संबंध में समस्त आवश्यक सावधान सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संवर्धित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्थायी निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साल-संख्या ए०आई०सी०टी०ई०पी०बी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसमक कार्यवाही की जाएगी।

(एफ०आर० खान)

सचिव

ए०सं०- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2022/10236-10244

दिनांक: 04/11/2022

प्रतिष्ठिति-

प्रधानाचार्य/निदेशक LET.POORAN RAM PRAKASH DIXIT COLLEGE OF PHARMACY

(एफ०आर० खान)

सचिव

Principal/H.O.D.
Let Pooan Ramprakash
Dixit College of Pharmacy
Gorakhpur

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश (खानगढ़)

संख्या - प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

खानगढ़- दिनांक: 12-09-2023

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित विधेयक सार्वीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० खानगढ़ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमांक दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संसदों को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में संसदों को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिखे गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० खानगढ़ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3021-LET POGRAM RAM PRAKASH DIXIT COLLEGE OF PHARMACY

संस्था	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई० पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1. DIPLOMA IN PHARMACY		60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्रवेशिका शिक्षा अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश शासन के सत्र संख्या 311/16-5099/9/2022 टीडीसी-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की ओर से रिस्ट्रक्चर नालीय न्यायलय में पंजीत रिट अधिका संख्या 5607/2023 में मान्यता प्राप्त के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निम्न की जाती है।
- ✓ समस्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गई सभी शर्तों का पूर्णतः पालन कोसी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के पत्राचार के अनुक्रम संख्या में समस्त संस्थानों (एमि, भयन, वेब उपकरण) उचित उपलब्ध है।
- ✓ समस्त उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद संसद 1992 तक प्राथमिक शिक्षा परिषद विधियमसूची 1992, विधियमसूची 2000, संसद विधियमसूची 2016 तक संसद-समस्त पर निर्णय प्राप्त करने के अनुक्रम कोसी तथा पूर्णतः निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सूचना की संख्या 01/2023 में सत्र दिए जायेंगे। उपर्युक्त के अधीन 01/2023 को ही मुख्य के सम्बन्ध में समस्त संसद या संसद द्वारा निर्णय किये जाने वाले संसदों पर प्रभावी होंगे और उक्त संसद कार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया के अधीन निर्धारण की जाती है।
- ✓ समस्त में समस्त प्रवेश प्रवेश प्रवेश द्वारा अखिल उत्तर प्रदेश की ओर दिए जायेंगे।
- ✓ संसद को संसद-समस्त पर निर्णय प्राप्त करने के अनुक्रम निर्धारण एवं सम्बद्धता सूचना सत्र सत्र द्वारा।
- ✓ समस्त उत्तर प्रदेश संसद द्वारा निर्णय विधियमसूची 2016 संसदों को निर्णय हेतु निर्णय, प्राथमिक शिक्षा 3600 संसद प्रवेश प्रवेश प्रवेश 2023 तक प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा करने गये निर्णय, विधियम, अखिल, निर्णय का पत्र

करने के लिये आवश्यक है।

- ✓ यदि संस्थान का अधिनियम भारतीय दवाकरीषी विद्या परिषद्/समन्वयी काउन्सिल और इंडियन नर्सिंग से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संघ में समस्त उपाध्यक्ष संस्थान का उल्लेख और विधिक रूप में किसी भी कार्यकारी के लिए संस्था स्तर उपाध्यक्ष होगी। प्रबंधिका शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्रबंधिका शिक्षा निदेशालय एवं प्रबंधिका शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई काद टाकर किया जाता है तो संस्थान काद के संबंध में यह न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अटोमैटिक निर्णय किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थान को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश दवाकरीषी विद्या परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अधिनियम प्रदेश परीक्षा हेतु अनुमोदित प्रारंभ करने के पूर्व अधिनियम भारतीय दवाकरीषी विद्या परिषद्/समन्वयी काउन्सिल और इंडियन नर्सिंग से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कायालय को उपस्थित कराना होगा जसमय उन्हे प्रदेश की अनुमोदित प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु संघ-समय पर निकल गयीका अधिनियम विधायी को अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्रबंधिका शिक्षा के फोरम/वेब पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्था, संकाय-संकाय, उपाध्यक्ष, प्राध्यापक एवं कला प्रमुख, संकायगत सूचना आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त कालांतरण उपलब्ध करने के साथ शैक्षणिक संस्थान के समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था में स्थापित हो ले वि: संस्था में प्रशासनिक/वैद्यिक पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था को समझना समान किये जाने की कार्यकारी की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रबंधिका शिक्षा (समन्वयिका और उपाध्यक्षिका), संकायों का समूहद किया जाने। विनिर्माणकारी, 2000 के अधिनियमानुसार परिषद की संघ का अपने कार्यकारी, भवन और कर्मचारी को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिनियम में रखनी।
- ✓ संस्था के अधिका संशोधन निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सब-संस्था एकादमी/संशोधन परिषद की संघ का अपने कार्यकारी, भवन और कर्मचारी को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिनियम में रखनी।
- ✓ संस्था का संशोधन न किये जाने अथवा संशोधन का उल्लंघन किये जाने की शिर्ष में विधानानुसार अनुशासनकारक कार्यकारी की जाएगी।


(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पुं०सं०- प्राधिप/परिषद/संघ/संस्था/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि-

प्राधानाचार्य/निदेशक, LET, POORAN RAM PRAKASH DIXIT COLLEGE OF PHARMACY


Principal/H.O.D.
Lett Poooran Ram Prakash Dixit College of Pharmacy
Kashwanthi, Jyoti P.


(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव